अवनिश कुमार बनाम् राजस्थान राज्य वगैरा।
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 172/1997)

09.10.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री समुन्दर सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री आर.पी. कुलदीप, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य

प्रार्थी अवनिश कुमार श्रीवास्तव मरहूम मोहन प्रसाद श्रीवास्तव का पुत्र है। तहसीलदार, छबड़ा जिला बारां ने नोटिस दिनांक- 10.12.1996 (प्रदर्श-5) द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1996 की धारा- 229 व लोक मॉग वसूली अधिनियम,1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत मोहन प्रसाद श्रीवास्तव के विरूद्ध बकाया राशि 39094/-रू. 50पैसे अक्षरे (उनतालीस हजार चोरानवे रूपये पचास पैसे) की वसूली हेतु प्रार्थी व उसके अन्य भ्राताओं को नोटिस दिया है। उक्त नोटिस से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह रिट याचिका इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। प्रतिपक्षीगण की ओर से रिट याचिका का उत्तर प्रस्तुत किया गया है जिसमें रिट याचिका की पोषणीयता के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को आद्योपांत सुना गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अनुशीलन किया गया।

लोक मॉग वसूली अधिनियम,1952 की धारा-19 (A)निम्न प्रकार है:-

"**19-A. Liability of legal representative.-**Where the certificate is executed against the legal representative, whether the name of such representative was originally mentioned in the certificate, or was substituted under section 19, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of and for the purpose of ascertaining such liability ,the officer executing the certificate may comple such legal representative to produce such accounts as such officer thinks fit."

निर्विवाद रूप से तहसीलदा, छबड़ा जिला बारां ने उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व धारा-19 (A), लोक मॉग वसूली अधिनियम, 1952 के प्रावधानों की पालना नहीं की है। तहसीलदार, छबड़ा जिला- बारां का यह कर्तव्य था कि वह उक्त नोटिस जारी करने से पूर्व इस सम्बन्ध में जॉच करता कि मरहूम मोहन लाल श्रीवास्तव से क्या सम्पत्ति प्रार्थी को प्राप्त हुई है और किस सीमा तक मरहूम मोहन लाल श्रीवास्तव के विरूद्ध जो राशि बकाया थी, प्रार्थी से वसूल की जा सकती थी। चूंकि धारा-19 (A), लोक मॉग वसूली अधिनियम,1952 के प्रावधानों की पालना तहसील,

छबड़ा जिला- बारां द्वारा नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार, छबड़ा जिला- बारां द्वारा जारी नोटिस दिनांक- 10.12.1996 (प्रदर्श-5) निरस्त किए जाने योग्य है।

परिणामत: रिट याचिका स्वीकार की जाती है। तहसीलदार, छबड़ा जिला- बारां द्वारा जारी नोटिस दिनांक- 10.12.1996 (प्रदर्श-5)निरस्त किया जाता है, किन्तु तहसीलदार, छबड़ा जिला- बारां को निर्देश दिया जाता है कि वह लोक मॉग वसूली अधिनियम,1952 की धारा-19 (A) के प्रावधानों की पालना करते हुए, प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त नये सिरे से नोटिस जारी कर सकेगा। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)